



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024]
No. 1024]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2007/श्रावण 30, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2007/SRAVANA 30, 1929

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन तथा उर्वरक विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2007

का.आ. 1439(अ).—रसायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 128(अ) दिनांक 6 फरवरी, 2007 में शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में मद संख्या 1 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“1. डा. रेणुका विश्वनाथन — अध्यक्ष”.

[सं. 40020/20/2007-रसा. 1]

के. सी. मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2007

S.O. 1439(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the Notification Number S.O. 128(E), dated 6th February, 2007 with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette namely :—

In the said Notification, for item Number 1 and the entry relating thereto the following item No. and entry shall be substituted, namely :—

“1. Dr. Renuka Viswanathan — Chairperson”.

[No. 40020/20/2007-CH. 1]

K. C. MISRA, Jt. Secy.